तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न.- 55/2024 रोशनलाल बनाम ईश्वरचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20/8/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 29/8/25 को पेश हो।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अर्जी उभयपक्ष उपरा वाद पत्र वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 55/2024

1. रोशनलाल पुत्र मोहनलाल (मृतक)
   1/1 सन्ता पत्नी रोशनलाल
   1/2 भगवानसिंह
   1/3 हरीसिंह
   1/4 बनैसिंह
   1/5 समयसिंह
   1/6 वीरेन्द्र पुत्रान रोशनलाल समस्त जातियान जाटव निवासी चुरारी गुर्जर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
   1/7 कमलेश पुत्री रोशनलाल पत्नी उदयसिंह
   1/8 प्रेमवती पुत्री रोशनलाल पत्नी मलखानसिंह समस्त जाति जाटव निवासी बरबार तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   1/9 लक्ष्मी पुत्री रोशनलाल पत्नी प्रेमसिंह
   1/10 पप्पी पुत्री रोशनलाल पत्नी जोगेन्द्र जाति जाटव निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...................वादीगण

बनाम

1. ईश्वरचन्द पुत्र भजनलाल जाति कोली निवासी जसबन्तनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0 ....असल प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार उच्चैन भरतपुर।
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उच्चैन जिला भरतपुर।
4. वीरबती पत्नी नबावसिंह जाति जाटव निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन।

.........तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट वादीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रतिवादीगण

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 259/3, 296/2.03, 297/0.09, 301/1.15, 302/0.02, 909/676/2.02 बाके ग्राम चुरारी गूजर तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है एवं बादी एवं प्रतिवादी असल के मध्य उक्त आराजीयात की कुरेबन्दी नहीं हुई है। मौके पर आराजी पक्षकारान के मध्य मनवट के आधार पर आपस में बंटी हुई है एवं मनवट के आधार पर पक्षकारान स्वतंत्रातापूर्वक हिस्सा बतौर मुताबिक काश्त कर रहे है समय समय पर फसल प्राप्त कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। दिनांक 08.07.2014 को प्रतिवादीगण असल ने मौके पर वादी को ऐलानिया धमकी दी एवं विवादित आराजी को किसी ताकतबर व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी जिसके कारण वादी ने यह बादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये प्रा0पत्र वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जरिये प्रा0पत्र अपने विरूद्ध अमल मे लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के द्वारा जबाव दावा पेश किया गया। दिनांक 17.12.2024 को उक्त वाद पत्र उभयपक्ष के अधिवक्तागण की आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 28.05.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा वादपत्र को मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार उच्चैन से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

कुरा नम्बर 1:— खातेदार रोशनलाल मृतक मुता. प्रा0डिक्री, भगवानसिंह, हरीसिंह, समयसिंह, वीरेन्द्र, बनैसिंह, पिस0 रोशनलाल सन्ता पत्नि रोशनलाल, पप्पी, कमलेश, प्रेमवती, लक्ष्मी पुत्रीयान रोशनलाल वहि0 बराबर जाति जाटव सा0 देह राहिन पू0 पीएनबी उच्चैन खसरा नम्बर 304/1/0.24, 783/1/0.17, 344/1/0.18, 345/1/0.03, 349/1/0.13, 350/0.02 है0 कुल किता 06 कुल रकवा 0.77है0।

कुरा नम्बर 2:— ईश्वरचन्द पुत्र भजनलाल हिस्सा पूर्ण जाति कोली सा0 जसबन्त नगर तह0 बयाना, भरतपुर खसरा नम्बर 304/2/0.25, 344/2/0.17, 354/2/0.04, 349/2/0.15है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.61है0।

कुरा नम्बर 3:— वीरवती पत्नि नवावसिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाटव नि0 चुरारी गूजर तहसील उच्चैन, भरतपुर खसरा नम्बर 783/2/0.17है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.17है0।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादीगण मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिकी का जुज रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

रोशनलाल बनाम ईश्वरचन्द व गै०

दावा बाबत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 55/2024 सन्.............

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हाजिर

व हाजरी श्री नरेन्द्र पाल एड० मिनजानिब ....

श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते संधारित करेगी, भू-राजस्व निर्धारित करेगी, कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न [illegible] नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

.............बाबत्.............

आज............. मुबलिग............. फीसदी सालाना आज

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... का अदा करें।

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक............. 29 माह 08 वर्ष 2025

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर.........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 55/2024

1. रोशनलाल पुत्र मोहनलाल (मृतक)
   1/1 सन्ता पत्नी रोशनलाल
   1/2 भगवानसिंह
   1/3 हरीसिंह
   1/4 बनैसिंह
   1/5 समयसिंह
   1/6 वीरेन्द्र पुत्रान रोशनलाल समस्त जातियान जाटव निवासी चुरारी गुर्जर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
   1/7 कमलेश पुत्री रोशनलाल पत्नी उदयसिंह
   1/8 प्रेमवती पुत्री रोशनलाल पत्नी मलखानसिंह समस्त जाति जाटव निवासी बरबार तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   1/9 लक्ष्मी पुत्री रोशनलाल पत्नी प्रेमसिंह
   1/10 पप्पी पुत्री रोशनलाल पत्नी जोगेन्द्र जाति जाटव निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..................वादीगण

बनाम

1. ईश्वरचन्द पुत्र भजनलाल जाति कोली निवासी जसबन्तनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

   ....असल प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार उच्चैन भरतपुर।
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उच्चैन जिला भरतपुर।
4. वीरबती पत्नी नबावसिंह जाति जाटव निवासी चुरारी गूजर तहसील उच्चैन।

..........तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)